क्रम संख्या–52 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 2023 ई0
बैशाख 07, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(1)/2023
देहरादून, 27 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023' पर दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 13, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2023)

अधिनियम

राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, सरकार के अधीन संचालित स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, निगमों तथा राज्य सरकार के अनुदान से संचालित संस्थाओं में किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा की शुचिता बाधित करने, अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्नपत्रों के प्रकटन तथा परीक्षा के उपरांत की जाने वाली अनियमितताओं आदि अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण या ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों और उनके सशक्त या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए विधेयक,

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2\. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतियोगी परीक्षा का संचालन" से प्रश्नपत्रों, उत्तरपत्रकों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पत्रक (ओ०एम०आर० शीट), परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारण, परिवहन, वितरण/संग्रहण परीक्षा उपरांत परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन (पेपर पेन) तथा ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा संचालन, प्रत्येक चरण में पुलिस से अपेक्षित सुरक्षा प्रबन्धन, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा तथा ऐसे ही अन्य कार्य आदि अभिप्रेत है;

(घ) "प्रतियोगी परीक्षा" से राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय, प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के किसी भी पद पर चयन के लिए संचालित होने वाली अनुसूची–2 में दी गई परीक्षाओं से अभिप्रेत है;

(ङ.) "परीक्षा केन्द्र" से किसी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान तथा सम्पूर्ण परिसर अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया हो या अन्यथा अनुमति दी गयी हो और इसमें उसके निमित्त श्रुतिलेखक या सहायक के रूप में अधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(छ) "अनुचित साधन" में :–

(1) किसी परीक्षार्थी के संबंध में:–
प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, उद्धरित, प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से प्राप्त सामग्री या कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता, अन्य अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग करना सम्मिलित है;

(2) किसी व्यक्ति के संबंध में:–

(एक) प्रश्नपत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना।

(दो) प्रश्नपत्र को अप्राधिकृत रीति से प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।

(तीन) अप्राधिकृत रीति से प्रश्नपत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्नपत्र हल करने में सहायता मांगना।

(चार) प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।

(पॉच) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) या प्रश्नों को अप्राधिकृत व्यक्ति को देने या हल करने हेतु निर्धारित कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना और इसके लिए सहायता करना।

(छः) परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ0एम0आर0) शीट या प्राप्तांकों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर प्रवीणता को प्रभावित करना सम्मिलित है।

(सात) परीक्षा कक्ष में या बाह्य कार्य में तैनात पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को उनके या उनके किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को चोट पहुँचाने की चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा धमकी देना; या अन्यथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों या परीक्षा हॉल में या बाहर तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहमति दिखाने के लिए प्रेरित करना।

(आठ) उत्तर पुस्तिका में अपशब्द, अश्लील एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करना।

(नौ) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनुचित साधनों में लिप्त है और धोखाधड़ी में पकड़ा गया है, लेकिन उक्त स्थिति के पश्चात् यदि लिप्त व्यक्तियों ने न्यायालय में आपसी सहमति से मामले को समाप्त करने का प्रयास किया तो परीक्षा प्राधिकरण की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा।

(दस) किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्र की चोरी, जबरन वसूली या डकैती या परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के विरूद्ध किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ0एम0आर0) शीट को हटाना या नष्ट करना।

(झ) "सेवाप्रदाता" से ऐसी कम्पनियाँ, संस्थान व संगठन अभिप्रेत है, जो परीक्षा संबंधी कार्यों के संपादन के लिये, परीक्षा प्राधिकारी द्वारा सेवा दिये जाने हेतु आबद्ध सेवाप्रदाता हैं, इसमें उनके प्रबंध तंत्र तथा ऐसे सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो परीक्षा प्राधिकारी की संबंधित परीक्षा के लिये लगाये गये हों;

(ञ) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 18) की धारा–2 में परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है;

(त) "सीमित दायित्व भागीदारी संस्था" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 7) की धारा 2 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;

(थ) "सीमित दायित्व भागीदार" से राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्रों तथा उनके कर्मचारीवृन्द, तथा परीक्षा प्राधिकारी के कार्मिकों की परीक्षा में भागीदारी अभिप्रेत है, जो किसी परीक्षा में सीमित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तैनात हैं या सहबद्ध है अथवा लगाये गये हैं;

(द) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है;

(ध) "पर्यवेक्षीय कर्मचारीवर्ग" से किसी भी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के पर्यवेक्षण और संचालन के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के संचालन से जुड़े कर्तव्यों और कृत्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो;

(न) "कोचिंग संस्थान" से राज्य सरकार के किसी परीक्षा प्राधिकरण (जैसा कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है) द्वारा आयोजित लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व कोचिंग प्रदान करने वाला संस्थान अभिप्रेत है;

(प) "पुलिस अधिकारी" से जिले का अपर पुलिस अधीक्षक एवं इसके समकक्ष पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(फ) "विशेष न्यायालय" से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं किये गए किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) में परिभाषित है का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं।

पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य

3. (क) विधि या नियमों के अधीन निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन करने के लिए बाध्य होना।

(ख) किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधन में सहयोग की अनुमति या उससे मिलीभगत और बढ़ावा नहीं देना।

(ग) निरीक्षण दल के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में या उसके आस–पास प्रवेश करने या इधर–उधर घूमने की अनुमति नहीं देना।

अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिबंध

4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

प्रश्नपत्र या उसके एक भाग का कब्जा या प्रकटीकरण

5. प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्नपत्रों को तैयार करने, प्रश्नपत्रों को मुद्रित करने, प्रश्नपत्रों को डिजिटल रूप से भेजने, मुद्रित प्रश्नपत्रों के परिवहन करने, प्रश्नपत्रों को परीक्षा के पूर्व व परीक्षा के दौरान रखे जाने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित कृत्य नहीं करेगा:–

(क) ऐसे प्रश्नपत्रों या उसके भाग या उसकी प्रति या पैकिंग को खोलना, प्रकट करना, प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रीति से तैयार प्रश्न पत्रों या प्रश्नों या प्रश्नों के विवरण (डाटा) को प्राप्त करना, प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) प्राप्त करने के लिए पासवर्ड लेना आदि तथा उन्हें हल करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना, जहाँ ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित है या उसके संबंध में है, देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का प्रयास करना या वचन देना;

(ग) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए किसी कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर से छेड़–छाड़ नहीं करेगा।

6. कोई भी व्यक्ति जो, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किसी भी

तैनात या लगे हुये व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम

कार्य में तैनात या लगा है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अधिकृत हो, ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे इस प्रकार तैनाती के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा। यदि ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित है तो उसका पासवर्ड या कोई भी विवरण (डाटा) प्रकटन नहीं करेगा।

प्रश्नपत्र, उत्तरपत्रक, ओ0एम0आर0 शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण

7. कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में:—

(क) ऐसा प्रश्नपत्र या उत्तरपत्रक या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) या उसका कोई भाग या प्रतिलिपि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा; या

(ख) ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्नपत्र से संबद्ध/हितबद्ध होने या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध

8. कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों/उपकरणों को ले जाने का प्रतिषेध

9. कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैलकुलेटर, पेज़र, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा

10. कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया है या जो उसमें लगा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

प्रबंधतंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध

11. (1) जब कभी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय, प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य के कारोबार का प्रभारी था, या प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या अन्य के कारोबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही साथ प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा तद्नुसार दण्डित किया जाएगाः

परन्तु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित कियां गया था और यह कि उसनै उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक् सतर्कता एवं तत्परता बरती थी।

(2) परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों एवं उत्तर कुंजियों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना एवं शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंधतंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

<u>स्पष्टीकरणः</u> परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्राधिकारी या परीक्षा केन्द्र प्रभारी के समक्ष प्रश्न पत्र के संबंध में सद्भाविक रूप से की गई शिकायत अथवा आपत्ति को उक्त धारा के अन्तर्गत परीक्षार्थी द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जायेगा।

(3) उपधारा (1) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या अन्य द्वारा कारित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी संस्था या सेवाप्रदाता या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

(4) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगी कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी का प्रभारी था

और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था कम्पनी के रूप में, अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजन के लिए "कम्पनी" से कोई भी/निगमित (कॉर्पोरेट) और इसमें एक फर्म या व्यक्ति का अन्य संघ सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है।

अपराध के लिए दण्ड

12. (1) यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी (ऑनलाईन और ऑफलाईन) परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो अधिकतम पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का संदाय (भुगतान) करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी कारावास से, जिसकी अवधि पंद्रह माह की होगी, दण्डनीय होगाः

परन्तु यदि वह परीक्षार्थी पुनः (दूसरी बार) किसी प्रतियोगी (ऑनलाईन और ऑफलाईन) परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो अधिकतम बारह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का संदाय (भुगतान) करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी कारावास से, जिसकी अवधि छत्तीस माह की होगी, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंधतंत्र, सीमित दायित्व भागीदारी संस्था, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकारी का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदार, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2(छ)(2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय

(भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड़यंत्र करता है या अन्यथा अनुचित साधनों में लिप्त होता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह किसी भी भांति के कारांवास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय (भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई भी क़िसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्रों की या उत्तरपत्रों या ऑप्टिकल मार्क रिकॉगिनशन (ओ०एम०आर०) शीट की, ऐसे प्रश्नपत्र की परीक्षा समाप्त होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी समय चोरी, उद्दापन, लूट या किसी भी प्रकार से अनधिकृत रूप से नष्ट करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं० 45) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास लाख से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय (भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

दोष सिद्धि पर विवर्जन

13. (1) कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को, आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दस वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने से विवर्जित किया जाएगाः

परन्तु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से पाँच से दस वर्ष तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर आजीवन कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने से विवर्जित किया जाएगा।

(2) विवर्जन हेतु अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अधिकृत होंगे।

तलाशी और अभिग्रहण

14. (1) जहॉ जिला मजिस्ट्रेट के पास, अपने कब्जे में की जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि किसी व्यक्ति ने,

(क) ऐसा कोई कार्य किया है जो अनुचित साधन है, या

(ख) अनुचित साधन में अंतर्ग्रस्त अपराध के किसी आगम को कब्जे में रखा है, या

(ग) अनुचित साधन से संबंधित कोई अभिलेख कब्जे में रखा है, या

(घ) अपराध से संबंधित किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखा है,

तो वह इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्याधीन किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा–

(एक) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहॉ उसके पास यह संदेह करने के कारण हैं कि ऐसे अभिलेख या अपराध के आगम रखे गए हैं, प्रवेश करना और तलाशी लेना;

(दो) किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान का, खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जहाँ उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, ताला तोड़कर खोलना;

(तीन) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिगृहीत करना;

(चार) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति पर, यदि अपेक्षित हो, पर पहचान के चिह्न लगाना या उससे उद्धरण या प्रतियां लेना या तैयार करना या करवाना;

(पॉच) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति का विवरण या तालिका तैयार करना;

(छः) ऐसे किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करना जिसके कब्जे में या नियंत्रण में ऐसा अभिलेख या सम्पत्ति पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी मामलों से संबंधित है।

(2) वह प्राधिकारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तलाशी और अधिग्रहण के ठीक पश्चात् इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबन्द लिफाफे में, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे कारण और सामग्री ऐसी अवधि तक रखेगा, जैसा विहित किया जाए।

(3) जहां किसी प्राधिकारी का, अभिप्राप्त जानकारी पर समाधान हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया या बिगाड़ा जाएगा; या उसके छिपाए या बिगाड़े जाने की सम्भावना है, वहां वह

ऐसे कारणों में, जो अभिलिखित किया जाएगा, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जहां ऐसा साक्ष्य अवस्थित है और उस साक्ष्य को अभिगृहीत कर सकेगाः

परन्तु उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन तलाशी के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

गिरफ्तार करने की शक्ति

15. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर या विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में ऐसे विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए।

संपत्ति की कुर्की और अधिहरण

16. (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।

(2) यदि, जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पत्ति, चाहे वो जंगम हो या स्थावर, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूपं अर्जित की गयी है तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं।

(3) प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(4) संहिता के किन्ही उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियाँ होंगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम" से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, बिना उस व्यक्ति का विचार किये जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाये जाते है।

सम्पत्ति को निर्मुक्त करना

17. (1) जहाँ कोई सम्पत्ति धारा 16 के अधीन कुर्क की जाए, वहाँ उसका दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदोपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जाँच

18. (1) जहाँ धारा 17 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन न दिया जाय या जिला मजिस्ट्रेट धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहाँ वह मामले को अपनी आख्या (रिपोर्ट) के साथ इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(2) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन कुर्क करने से इन्कार किया है या किसी सम्पत्ति को धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहाँ राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार इन्कार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जाँच करने के लिए कि क्या सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को आवेदन पत्र दे सकता है। विशेष न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश या उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति पर विशेष न्यायालय जाँच के लिए कोई दिनांक नियत करेगा और उसकी नोटिस उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 17 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसका हित मामले में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत हो, देगा।

(4) इस प्रकार नियत दिनांक को या किसी पश्चातवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जाँच आस्थगित की जाय, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि क्या सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी और धारा 19 के अधीन ऐसा आदेश देगा जैसे मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

जाँच के पश्चात् आदेश

19. (1) यदि ऐसी जाँच पर विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गई थीं तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी।

(2) जहाँ अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो विशेष न्यायालय किसी दण्ड के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता हैं कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित अधिभारों से मुक्त कोई भी जंगम या स्थावर या दोनों सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित समझी जाएगी।

अपील

20. संहिता के अध्याय 29 के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंधतंत्र इत्यादि का दायित्व

21. यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंधतंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकारी का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2), (3) एवं (4) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह, विशेष न्यायालय द्वारा अवधारित, परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय करने के दायी होगा और उन्हें इससे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा।

अपराधों का

22. विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित

संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होना

करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत पक्ष द्वारा की गई किसी परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसके लिए अभियुक्त ने परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया है।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।

(ख) इस अधिनियम के अधीन दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं निर्मुक्त नहीं किया जाएगाः

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने के लिए अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि परीक्षार्थी है या महिला है या रूग्ण है या अशक्त है तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निदेश दे।

किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना

23. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए--

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्यतः किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु राज्य सरकार चाहे तो किसी भी प्रकरण की प्रारंभिक जॉच कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जो अपर जिला मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, करा सकेगी।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,

जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।

अपराधों का

24. अपर पुलिस अधीक्षक (जिन जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक,

अन्वेषण			तैनात न हो वहाँ पुलिस अधीक्षक) के पद से अन्यून कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।
विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले	25.		संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा।
विशेष न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति	26.		राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने सत्र (सेशन) न्यायालयों को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करेगी।
लोक सेवक	27.		प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगे प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक माना जाएगा।
अधिनियमका किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना	28.		इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।
कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति	29.	(1)	यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों : परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
		(2)	इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
नियम बनाने की शक्ति	30.	(1)	राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
		(2)	इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।
निर्देश या आदेश जारी करने शक्ति	31.		राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए समय–समय पर लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकेगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति	32.	राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा और प्राधिकारी को जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित या बाहर कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन पर अनुसूची 1 और 2 तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।
सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण	33.	राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
निरसन एवं व्यावृत्ति	34. (1)	उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
	(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची–1
(धारा–2, (ख) देखें)

(1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग।
(3) उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड।
(4) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अन्य संस्थान।

अनुसूची–2

(धारा–2, (घ देखें)

(1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षायें।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,

सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार के समक्ष पिछले कुछ वर्षों में राज्य की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आये हैं, इनमें से कुछ मामलों में संगठित नकल माफिया की उपस्थिति के भी संकेत मिले हैं। इस प्रकार के प्रयास, राज्य के अभ्यर्थियों को सार्वजनिक परीक्षा में 'भारत का संविधान' में प्रदत्त समान अवसर उपलब्ध कराने की अवधारणा तथा राज्य को उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के प्रतिकूल है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाये रखने के उद्देश्य से एक विशिष्ट कानून बनाये जाने का निर्णय लिया है–

इसी परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया गया था।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री